बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्रांक– एन0एम0एस0ए0को0–09 / 2014–154 / कृ0 पटना, दिनांक– 12/9/2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

#द्वारा: वित विभाग, ।

विषय :– **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) हेतु 2018–19 में कुल 333.333 लाख (तीन करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ) रूपये (केन्द्रांश 200.000 लाख रूपये एवं राज्यांश 133.333 लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वियन की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 333.333 लाख (तीन करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ) रूपये (केन्द्रांश 200.000 लाख रूपये एवं राज्यांश 133.333 लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्त्तन तथा गैर कृषि कार्यो में खेती योग्य भूमि एवं जल के उपयोग के कारण कृषि के लिए चुनौतियाँ काफी बढ़ गयी है। विशेषकर रेनफेड एरिया में सिंचाई जल की असमान्य उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था के कारण कृषि एक कठिन एवं अनिश्चिततापूर्ण तथा अलाभकारी कार्य हो गया है। इस योजना में एक घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) के लिए स्वीकृत किया गया है। इसमें समेकित कृषि प्रणाली के तहत कृषि कार्य एवं उत्पाद का मूल्य संबंर्धन के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता दिया जाना है।
3. यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें 60 % केन्द्रांश एवं 40 % राज्यांश के तर्ज पर योजना संचालित होगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल 200.00 लाख रूपये केन्द्रांश के रूप मे टेंन्टेटिव उद्व्यय प्राप्त हुआ है जिसके आलोक में 40 % राज्यांश 133.333 के साथ कुल 333.333 लाख रूपये से योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। अबतक भारत सरकार से केन्द्रांश मद की राशि की विमुक्ति नही हुई है। भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्ति के पश्चात् केन्द्रांश एंव अनुपातिक राज्यांश का आवंटन आदेश निर्गत कर राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।
4. योजना का प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना एवं वर्गवार स्वीकृत राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची अनुसूचि– 01 के रूप में संलग्न है। भौतिक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है। योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होगें।
5. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
6. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उपयुक्त कषि प्रणाली को समेकित रूप में कार्यान्वित किया जायेगा। फसल उत्पादन के अतिरिक्त उद्यान तथा पशुधन आधारित कार्यक्रम अपनायें जायेगे।

7. योजना का कार्यान्वयन कलस्टर में किया जाएगा । विभिन्न प्रकार के फसल प्रणाली के लिए न्यूनतम 100 हे० का कलस्टर चयन किया जाएगा।
8. भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में इस योजना का कार्यान्वयन कराया जायगा एवं तदनुसार उद्यान आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 हजार रूपये, पशुधन आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 40 हजार एवं फसल आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपये पेरीफेरल प्लांटेशन के साथ प्रति हेक्टयर की दर से अनुदान देय होगा। इस योजना अन्तर्गत एक लाभाथी को अधिकतम दो हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जायगा।
9. कुल उद्व्यय राशि का 50 प्रतिशत राशि लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए व्यय किया जाएगा, जिसमें से कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिला होगी । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 1 प्रतिशत राशि कर्णाकिंत की की जाती है।
10. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (रेनफड एरिया डेवलपमेन्ट) का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा संसूचित मार्गदर्शिका एवं इसमें समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
11. भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुरूप राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करेगी। राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों सहित प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की योजना में आवश्यक तकनिकी सहयोग एवं परामर्श के लिए स्टैंडिग कमिटी कृषि निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करेगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला मिशन समिति (डी0एम0सी0) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा सहायक निदेशक उद्यान योजना कार्यान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
12. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत वित्तीय अधिसीमा के अधीन आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।
13. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्वि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।
14. वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट शीर्ष उपबंधित राशि एवं स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष केन्द्रांश	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक, माँग सं०–01, उप शीर्ष 0207–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विषय शीर्ष 0207.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड 01-2401001050207, पी०एफ०एम०एस०कोड–2009	1625.43	166.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०–01, उप शीर्ष 0238–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विषय शीर्ष 0238.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड 01-2401007890238, पी०एफ०एम०एस०कोड–2009	313.34	32.00
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विषय शीर्ष 0258.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड 01-2401007960258, पी०एफ०एम०एस०कोड–2009	19.58	2.00
केन्द्रांश योग :–	**1958.35**	**200.000**

राज्यांश	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0307–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विषय शीर्ष 0307.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड 01-2401001050307, पी०एफ०एम०एस०कोड–2009	1083.62	110.667
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0338–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विषय शीर्ष 0338.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड 01-2401007890338, पी०एफ०एम०एस०कोड–2009	208.89	21.333
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं०–01, उपशीर्ष 0358–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन, विषय शीर्ष 0358.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड 01-2401007960358, पी०एफ०एम०एस०कोड–2009	13.06	1.333
राज्यांश योग :–	1305.57	133.333
कुल :–	3263.92	333.333

15. वित्त विभाग की संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि की स्वीकृति संचिका सं०–एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–09/2014 के पृ०सं०– 75/टि० पर दिनांक 24.08.2018 को प्राप्त है।
16. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
17. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–09/2014 के पृ०सं०– 76/टि० पर दिनांक 28.08.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Rdeindas
6.9.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–09/2014 154 / कृ0, पटना, दिनांक–12/9/2018
प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindas
6.9.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–09/2014 154 / कृ0, पटना, दिनांक– 12/9/2018
प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeindas
6.9.17

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–09/2014...154.../ कृ0, पटना, दिनांक–...12/9.../2018
प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

Rabindra
6.9.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–09/2014...154.../ कृ0, पटना, दिनांक–...12/9.../2018
प्रतिलिपिः– सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra
6.9.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – एन॰एम॰एस॰ए॰को॰–09/2014...154.../ कृ0, पटना, दिनांक–...12/9.../2018
प्रतिलिपिः– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना–सह–प्रभारी पदाधिकारी NMSA कोषांग/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) योजना, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा सभी कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

Rabindra
6.9.18
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।